स्वच्छ पेयजल के लिए अनुदान

4017. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है और "नो-सोर्स प्राब्लम विलेजेस" योजना के अंतर्गत शामिल गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) देश के प्रत्येक गांव में पेय जल कब तक मुहैया करा दिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुदानों और शामिल किए गए "जल स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांवों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में समस्याग्रस्त अन्य गांवों को पेयजल सुविधाओं के तहत शामिल करने हेतु राज्य-वार लक्ष्य और अब तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित प्रगति विवरण II में दर्शायी गई है । **(नीचे देखिये)**

(घ) सभी "जल स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांवों को 31 मार्च, 1993 तक पेयजल सुविधाओं के तहत शामिल किए जाने की संभावना है । आंशिक रूप से पेयजल वाले गांवों/बसावटों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण रूप से पेयजल की सुविधायें मुहैया करा दिए जाने की संभावना है ।

विवरण–I

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों में कवर किए गए "जलस्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांवों की सं०		निम्नलिखित वर्षों के दौरान रिलीज किए गए अनुदान (करोड़ रुपये में)	
		1989–90	1990–91	1989–90	1990–91
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	0	0	27.098	26.177
2.	अरुणाचल प्रदेश . .	0	0	2.518	5.197
3.	असम . . .	2724	356	15.500	10.770
4.	बिहार . . .	229	37	28.698	24.477
5.	गोआ . . .	3	0	0.318	1.057

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात . .	318	47	12.082	18.327
7.	हरियाणा . .	360	96	7.641	6.463
8.	हिमाचल प्रदेश . .	320	310	7.208	8.057
9.	जम्मू व कश्मीर . .	299	243	25.253	15.307
10.	कर्नाटक . .	0	0	29.168	24.355
11.	केरल . . .	12	1	9.780	11.260
12.	मध्य प्रदेश . .	282	63	33.378	21.584
13.	महाराष्ट्र . .	309	46	25.794	35.854
14.	मणिपुर . . .	125	0	3.498	3.357
15.	मेघालय . . .	462	406	4.268	6.198
16.	मिजोरम . .	140	68	2.356	2.167
17.	नागालैंड . . .	173	7	7.223	5.527
18	उड़ीसा . . .	1038	219	12.907	21.621
19.	पंजाब . .	291	164	10.156	5.337
20.	राजस्थान . .	885	261	44.618	42.587
21.	सिक्किम . .	15	7	4.564	7.787
22.	तमिलनाडु . .	803	18	25.348	21.987
23.	त्रिपुरा . .	532	120	4.405	2.530
24.	उत्तर प्रदेश . .	3181	563	53.478	46.507
25.	पश्चिम बंगाल . .	0	0	19.679	14.211
26.	दादर नगर हवेली .	0	0	0.00	0.00
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.468	0.887
28.	लक्षद्वीप . .	0	0	1.268	0.00
29.	पांडिचेरी . .	0	0	1.238	0.130
30.	दिल्ली . . .	0	0	0.065	1.130
31.	दमन व दीव . .	0	0	0.100	0.528
	योग . .	12501	3032	420.075	390.376

नोट : कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सामने "0" का अर्थ है कि कोई समस्याग्रस्त गांव नहीं है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों को दो वर्षों में पेयजल सुविधाओं के तहत कवर करने हेतु लिया गया था।

विवरण–II

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92 ("जलस्रोत रहित" व अन्य गांवों की संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि (फरवरी, 92 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार
1	आन्ध्र प्रदेश	1000	961
2.	अरूणाचल प्रदेश	190	27
3.	असम	834	507
4.	बिहार	6007	660
5.	गोआ	57	30
6.	गुजरात	958	567
7.	हरियाणा	391	310
8.	हिमाचल प्रदेश	354	309
9.	जम्मू व कश्मीर	209	58
10.	कर्नाटक	4572	3624
11.	केरल	150	110
12.	मध्य प्रदेश	5500	4044
13.	महाराष्ट्र	1615	549
14.	मणिपुर	160	100
15.	मेघालय	1000	104
16.	मिजोरम	150	47
17.	नागालैंड	107	76
18.	उड़ीसा	3864	750
19.	पंजाब	411	246
20	राजस्थान	2000	1104
21.	सिक्किम	34	19
22.	तमिलनाडु	5901	2031
23.	त्रिपुरा	505	264
24.	उत्तर प्रदेश	5205	2876
25.	पश्चिम बंगाल	2951	568
26.	दादर व नगर हवेली	0	0
27.	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	21	19
28.	लक्षद्वीप	4	3
29.	पाण्डिचेरी	25	23
30.	दिल्ली	0	0
31.	दमन व दीव	0	0
	योग	44175	19989